

(3)

मा0 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 घटक के अन्तर्गत लक्ष्यों के विरुद्ध उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित जागृति विहार (विस्तार) योजना में बनाये जाने वाले भवनों के सम्बन्ध में विवरण

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 घटक के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले भवनों के लिये निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु अर्बन सीलिंग/नजूल की भूमि सम्बन्धित विभागों यानि कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद/ विकास प्राधिकरणों को देने का निर्णय प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1252/आठ-4-2018-137 एन/2013 दिनांक 17.7.2018 द्वारा किया गया है। तत्कम में आवास एवं विकास परिषद द्वारा जिलाधिकारी मेरठ से परिषद की जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11 मेरठ में समाविष्ट अर्बन सीलिंग की 3.97 हेक्टेयर भूमि को परिषद को निःशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी महोदय के स्तर पर आयोजित बैठक जिसमें मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी सम्मिलित थे, उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि खसरा संख्या 137, 138, 147, 149, 150, 160, 151, 152, 159 क्षेत्रफल 20360.06 वर्ग मीटर व खसरा संख्या-157 की 1155.66 वर्ग मी0 एवं खसरा संख्या-158, 163, 157 की 2023.36 वर्ग मीटर ग्राम सरायकाजी अर्थात् कुल 23539.08 वर्ग मीटर भूमि जो अर्बन सीलिंग के अन्तर्गत है, उस पर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन स्तर से स्वीकृत किया जा चुका है। तत्कम में जिलाधिकारी मेरठ की अध्यक्षता में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त खसरे की 23539.08 वर्ग मीटर भूमि मेरठ विकास प्राधिकरण के पक्ष में निःशुल्क आवंटित करने के साथ-2 अवशेष भूमि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद को आवंटित की जाय जिसके अनुपालन में अपर जिलाधिकारी (प्र0/सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण) के पत्र 99/न0भू0सि0/आवंटन/2018 दिनांक 23.7.2018 द्वारा उक्त योजना में अर्बन सीलिंग की भूमि जो टुकड़ो-2 में अलग-2 स्थानों पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 16170.00 वर्ग मीटर था, आवास एवं विकास परिषद को आवंटित की जायेगी। परिषद योजना के अन्तर्गत प्राप्त अर्बन सीलिंग की भूमि के सम्बन्ध में आवास आयुक्त महोदय के स्तर पर हुयी समीक्षा/ विचार-विमर्श में आवास आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि अर्बन सीलिंग की भूमि जो विकास प्राधिकरण/ उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद को आवंटित की जा रही है, को कंसोलिडेट करते हुये एक ही स्थान पर संयुक्त ले-आउट तैयार किया जाय जिससे अधिकतम एफ0ए0आर0 प्राप्त किया जा सकें तथा सेवाओं की इकनोमीकल प्लानिंग हो सकें।

आवास आयुक्त महोदय के उक्त निर्णय के क्रम में जागृति विहार योजना संख्या-11 मेरठ के सैक्टर-8 में स्थिति परिषद/अर्बन सीलिंग की भूमि जिसका क्षेत्रफल 40248.41 वर्ग मीटर है। अर्बन सीलिंग की भूमि 23539.08 वर्ग मीटर है (शेष भूमि खसरा सं0-142, 143, 144, 145, 146, 148, 162 एवं 164 आवास विकास परिषद के कब्जे की है) जो मेरठ विकास प्राधिकरण के पक्ष में आवंटित है जिसका ले-आउट उनके द्वारा पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है जिसमें 576 नग भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, को सम्मिलित करते हुये, संयुक्त ले-आउट वास्तुविद नियोजक इकाई प्रथम उ0 प्र0 आवास एवं विकास द्वारा तैयार किया गया है जो आवास आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

उपरोक्त संयुक्त ले-आउट पर उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। संलग्न ले-आउट के अनुसार कुल 1392 नग भवनों का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें 576 नग भवन मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा तथा 816 भवन उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। दोनों विभागों द्वारा निर्मित किये जाने वाले भवनों के चिन्हांकन हेतु विचार-विमर्श में यह मत स्थिर हुआ है कि संलग्न ले-आउट में हरे रंग से दर्शाये गये 12 नग ब्लाक (बी-1 से बी-12)

Signature
Signature

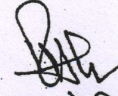
अर्थात् 576 नग भवनों का निर्माण कार्य मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा तथा पीले रंग से दशार्थे गये 17 नग ब्लाक (बी-13 से बी-29) अर्थात् 816 नग भवनो का निर्माण उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपने-2 निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध कराया जायेगा।

उक्त ले-आउट इस कार्यवृत्त का भाग रहेगा।



(एल०डी० पाण्डे)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-8

उ० प्र० आवास एव विकास परिषद
मेरठ

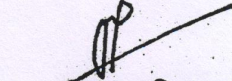


(आर०के०सिंह)
योजना प्रभारी
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

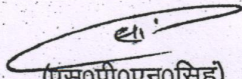


(अरविन्द कुमार)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-6

उ० प्र० आवास एव विकास परिषद
मेरठ

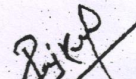


अधीक्षण अभियन्ता
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ



(एस०पी०एन०सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता
द्वितीय वृत्त

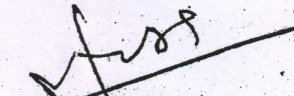
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
मेरठ



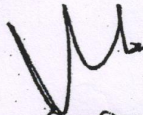
सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ



अपर जिलाधिकारी (ई०)
मेरठ



उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ



जिलाधिकारी
मेरठ

मेरठ विकास प्राधिकरण

पृष्ठ संख्या

नोट शीट

उपाध्यक्ष

118

प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत गढ़ रोड पर सराय काजी में 576 चार मंजिले भवनों के निर्माण कार्य हेतु व्ययानुमान धनांक रू० 24,41,63,172.52 की स्वीकृति पूर्व पृष्ठ-04 पर प्राप्त करते हुए, टू-बिड पद्धति पर ई-निविदायेँ आमन्त्रित की गयी, जिन्हें दिनांक 27.02.2018 को डाउनलोड/खोली गयी, जिसमें कुल 04 निविदायेँ प्राप्त हुई। पूर्व नोटशीट संख्या-07 पर प्राप्त स्वीकृति के क्रम में दिनांक 09.03.2018 को वित्तीय बिड खोली गयी, जिसमें न्यूनतम निविदा मै० सुनील गर्ग एण्ड कं० की बी०ओ०क्यू० से 6.75 प्रतिशत निम्न दर पर धनांक रू० 20,14,88,635.73 की प्राप्त हुई है। कार्य का बी०ओ०क्यू० धनांक रू० 21,60,73,604.00 है। निविदत्त दरें निम्न होने के कारण कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि० उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 379सीजी/32सी/मा० लोक लेखा समिति/12-13 दिनांक 01.06.2012 के क्रम में ठेकेदार से बी०ओ०क्यू० लागत का (3.38 प्रतिशत) अर्थात् धनांक रू० 73,03,288.00 की एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० परफोरमेन्स गारन्टी के रूप में, अनुबन्ध से पूर्व लिया जाना उचित होगा। इस तरह न्यूनतम निविदा बी०ओ०क्यू० लागत से 6.75 प्रतिशत निम्न होने के कारण स्वीकृति योग्य है।

पूर्व नोटशीट संख्या-04 पर आप द्वारा कार्य के आगणन की स्वीकृति प्रदान करते समय "कार्यादेश जारी करने से पहले आवश्यकता देख लें" के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व नोटशीट संख्या-10 पर अधीक्षण अभियन्ता की आख्यानसार न्यूनतम निविदादाता के पक्ष में निविदा स्वीकृति के उपरान्त कार्यादेश जारी किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रस्तावित भवनों की स्ट्रक्चरल डिजाइन शासकी संस्था से कराने अथवा किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कराने के उपरान्त शासकीय संस्था यथा आई०आई०टी० रूडकी आदि से अनुमोदन सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा कराया जायेगा, जिसमें लगभग एक माह का समय लगना सम्भावित है, तत्पश्चात् अनुमोदित ड्राईंग/डिजाइन के अनुरूप ही स्थल पर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। भवनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत दिनांक 24.02.2018 से 23.03.2018 तक पंजीकरण खोले गये हैं, पंजीकरण फार्म प्राधिकरण कार्यालय स्थित इलाहाबाद बैंक के माध्यम से विक्रय किये जा रहे हैं, भवनों की मांग के अनुसार ही स्थल पर ब्लॉकवाइज भवनों का कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा, इस बात का उल्लेख ठेकेदार को जारी किये जाने वाले कार्यादेश में समाहित कर दिया जायेगा।

अतः पूर्व नोटशीट संख्या-10 पर अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति के क्रम में, उपरोक्त कार्य हेतु निविदा समिति द्वारा न्यूनतम निविदादाता मै० सुनील गर्ग एण्ड कं० से उपरोक्तानुसार, अनुबन्ध से पूर्व, परफोरमेन्स गारन्टी लेते हुए इनकी निविदा बी०ओ०क्यू० से 6.75 प्रतिशत निम्न दर पर धनांक रू० 20,14,88,635.73 (रुपये बीस करोड़ चौदह लाख अठ्ठासी हजार छः सौ पैंतीस एवं तिहत्तर पैसे मात्र) की स्वीकृति के साथ-साथ नियमानुसार जी०एस०टी० व लेवर सेस की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

मुख्य अभियन्ता

वित्त नियन्त्रक

सचिव

TS-737

28.3.18

28.3.18

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 664 /अधि.अभि. कार्या./2018

दिनांक 20-4-18

सेवा में,

मै0 सुनील गर्ग एण्ड कंपनी
150, ईस्ट मॉडल टाऊन
गाजियाबाद।

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम सरायकाजी (गढ़ रोड) में 576 चार मंजिलें भवनों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम सरायकाजी (गढ़ रोड) में 576 चार मंजिलें भवनों के निर्माण कार्य हेतु आपके द्वारा डाली गई निविदा धनांक रु. 20,14,88,635.73 (रुपये बीस करोड़ चौदह लाख अठ्ठासी लाख छह सौ पैंतिस तथा तेहत्तर पैसे) की स्वीकृति के अतिरिक्त नियमानुसार जी. एस.टी. व लेबर सेस की स्वीकृति पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन निविदा की शर्तों में उल्लिखित विशेष शर्तों के अनुरूप प्रदान कर दिया गया है। निविदा में उल्लिखित विशेष शर्तें निम्नानुसार है :-

1. भवन निर्माण कार्यों के अन्तर्गत भवनों के पंजीकरण/आंवटन के आधार पर प्रस्तावित भवनों के निर्माण की संख्या घट-बढ़ सकती है।
2. प्रस्तावित भवनों की स्ट्रक्चरल डिजाईन शासकीय संस्था से कराने अथवा किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कराने के उपरांत शासकीय संस्था यथा आई.आई.टी. आदि से अनुमोदित कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का होगा।
3. भवनों के निर्माण कार्य हेतु किसी विभाग की अनापत्ति लिये जाने की आवश्यकता होने की दशा में अनापत्ति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का होगा। प्राधिकरण द्वारा इस हेतु आवश्यक अपेक्षित सहयोग प्रदान करना होगा।

निविदत्त दरें सर्वनिम्न होने के कारण कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 379सीजी/32सी/मा0 लोक लेखा समिति/12-13 दिनांक 01.06.2012 के क्रम में ठेकेदार से बी0ओ0क्यू0 लागत का (3.38 प्रतिशत) अर्थात् धनांक रु. 73,03,288.00 की एफ0डी0आर0/ एन0एस0सी0 परफोरमेन्स गारन्टी के रूप में प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखते हुए तथा प्रस्तावित भवनों की स्ट्रक्चरल डिजाईन शासकीय संस्था से कराने के उपरांत स्थल पर किसी भी ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण से भवनों के निर्माण हेतु अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा, ताकि प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता के अनुसार ही भवन निर्माण कराये जा सकें।

अतः उपरोक्त से सहमति की दशा में आप धनांक रु. 100/- + रु.50/- + 10/- का स्टाम्प पेपर एवं निविदा लागत के (3.38 प्रतिशत) अर्थात् धनांक रु. 73,03,288.00 की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 परफोरमेन्स गारन्टी के रूप में (जो मेरठ विकास प्राधिकरण के नाम बन्धक हो) इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा इस आशय का एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करें कि उ.प्र. शासन अथवा मा0 न्यायालय द्वारा यदि कोई निर्णय पारित किया जाता है, तो उनके द्वारा ठेका अनुबन्ध पर अवशेष एक सौ रुपये से अधिक देय स्टाम्प पेपर शुल्क का भुगतान कर विभाग को लेखाशीर्षक में जमा कर दिया जायेगा।

अधीक्षण अभियन्ता
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

प्रतिलिपि : कान्स्ट्रक्ट बाण्ड पर रखने हेतु।

20/04/18
अधीक्षण अभियन्ता
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।